


## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना. स्था/2018 दिनांक 11.09.2018 द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बडागांव, लवाण जिला दौसा को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 22908/2018 नरेन्द्र सिंह राजपूत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2018 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 11.09.2018 को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.01.2018 द्वारा याचिका को अन्तिम रूप से निस्तारित कर खारिज किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक 11.09.2018 पुनः प्रभावी हो गया है। अतः श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करते हुए अपनी अगली उपस्थिति कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में देवें ताकि दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त कर काउन्सलिंग के माध्यम से इनका समायोजन किया जा सके।

  
(सूदन बाला कपिला)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/याचिका/22908/2018 दिनांक: 16.01.2019  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, दौसा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) दौसा।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)